

पत्रांक 10/न4-016/2002 मा0 357

बिहार सरकार,

मानव संसाधन विकास विभाग।

नितिधिया

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा,

सरकार के तत्पुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,

सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,

शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत बिहार,

विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092.

पटना, दिनांक 24-6-05

विषय- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 23-6-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना किसी शर्त के/सशर्त निर्गत करने का निर्णय लिया गया-

- 1: गोर्डेंटल पब्लिक स्कूल पीरपैती, भागलपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 2: डी०एस०सी०एम०पब्लिक स्कूल, गोशाला रोड मुंगेर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 3: डी०के०कारमेल आवाती उच्च विद्यालय, आराधूभोजपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 4: जिवेकानन्द मिशन स्कूल, बिले, बिहार, दाउदनगर, औरंगाबाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 5: एस०के०पी०विद्या बिहार, भागलपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 6: डेमेन्युअल मिशन हाई स्कूल, आनन्दनगर तीवान अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 7: चन्द्रशील विद्यापीठ, कौंटी, मुजफ्फरपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सी०बी०एस०ई०बोर्ड, नई दिल्ली के संबंध में संतुष्ट हो लेगी। इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी०बी०एस०ई०बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति कर ली जाएगी।
- 8: मानव भारती नेशनल स्कूल, आई०टी०आई, बोधगया, गया

10: बेथल मिशन स्कूल, ब्रिजमगंज

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस पर लिया गया कि विद्यालय टी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व भूमि एवं भवन संबंधी शर्तें ठीक पुरा कर लेगा और शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे।

11: मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल,
फ्लोर्ट एरिपा, जहाँनाबाद । - 3

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय के द्वारा पाँच वर्ष बाद जब नया भवन बन जायगा उस समय विद्यालय, नये भवन में हस्तान्तरित होने की सूचना सरकार को देगा।

12: सेंट रेमिजियस एडुकेशनल सोसाइटी
क्रिचन क्वार्टर, चर्च रोड, बोर्ड नं
3, पश्चिमी बम्पारण ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

13: सेंट जॉन्स रेजिडेंसियल पब्लिक स्कूल,
सोनागोपालपुर, सम्पतचक, पटना

इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा टी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।

14: शान्ति निकेतन जुबली स्कूल, शान्तिपुरी
पोतिहारी पूर्व बम्पारण

इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा टी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।
विद्यार्थीसंयोजन,

हेमचन्द्र झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमांक 357

पटना, दिनांक 24-6-05

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति वर्ष कम से कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायगा।

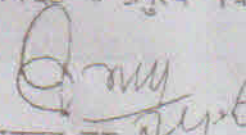
3- निम्नान्वित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है-

क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षा/शिक्षक/कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो।

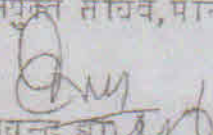
ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मध्य के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो

घ॥ विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्यवाही की जा रही हो जिससे समाज में विभिन्न तोताइती के बीच कटुता पैदा हो,
य॥ सी०बी०एस्०ई० मापदंड के अनुस्यू भवनों में सी०बी०एस्०ई० मापदंड के अनुस्यू विनियमों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर

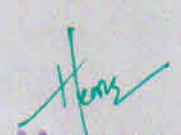

॥ हेमचन्द्र झा ॥
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक 357 पटना, दिनांक 24-6-05
प्रतिनिधि सचिव/ निदेशक, पाठशाला/ निदेशक, पाठशाला/ संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


॥ हेमचन्द्र झा ॥
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक 357 पटना, दिनांक 24-6-05
प्रतिनिधि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


॥ हेमचन्द्र झा ॥
सरकार के संयुक्त सचिव।


Manager
Chandrasheel Vidyapeeth
Kanti-843109
Muzaffarpur, Bihar


PRINCIPAL
CHANDRASHEEL VIDYAPEETH